

2017/03075

सुरेश दाधीय

2/5

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाडा.) 2/6

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

(General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8)

- 1 नाम अदालत - सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
- 2 किसम मुकदमा - वादपत्र अन्तर्गत घारा -188, 53 आर०टि०ए०
- 3 अनवान मुकदमा
श्रीमती जमना देवी पत्नि वनाम फतेहलाल पिता बालूराम
ओमप्रकाश शर्मा महाजन निवासी-हुरडा
निवासी-गुलाबपुरा
- 4 गम्बर व सान् मुकदमा - 36/2017 - 36/2017
- 5 तारीख दापर - 21/04/2017
- 6 तारीख फंसला - 20/6/2017
- 7 तारीख दाखिल होने मुहलकेजखाना - 20/6/2017
Pd.
- 8 अपील या निगरानी की तारीख फंसला -
- 9 किसम मिसल या हिस्सा -
- 10 किसम रेकार्ड -
- 11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया _____
- 12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया _____
- 13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया _____
- 14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया _____

श्री सुरेश दाधीय

फसल काशत करने, फसल बाटने, जमीन की कमी देखा को गैर विवाद होता रहता है। इसीलिए वादीया अपने अनधिक हक दिलाने के अनुसार विभाजन करवाना चाहता है। अन्त में स्थान स्थित कि दावा वादी डिग्री फरमाया जाकर, माफिक हक दिलाने के अनुसार भूमि का विभाजन करवाये जाने के आदेश प्रदान कराये।

यसील प्रतिकवादी ने भी माफिक हक दिलाने के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने में कोई आपत्ती नहीं होने का हिसाब रखा है।

ये अपस्थित अभ्यवसाह को लुना। यदस पर मन किया। पत्रावली पर अपस्थित यदसोंदेवोंत का अभ्यवसाह किया। विधेयन निम्न प्रकार से रहा है :-

वादीया के द्वारा प्रस्तुत कागजवादी नं०- 2073 से 2076 मौजा बुरडा देवा, तलसीम बुरडा के अनुसार आराजी नं०- 2023, 2036, 2114, 2027, 2035, 2116, प्लॉट-4 रकबा 12 बीघा 05 दिल्वा भूमि फलदातन, शान्ताबाई पित्त बाबुराम 1/3, गीताबाई पुत्रा बाबुराम 1/3, महाजन ता० देह. कलाबाई पत्नी ओमप्रकाश शर्मा 1/24, कलादेवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा 1/2 ता. गुलाबपुरा बर्ष रेकार्ड होना, तथा आराजी नं०- 2102, 2113 प्लॉट-2 रकबा 03 दिल्वा भूमि फलदातन पित्त बाबुराम महाजन ता. देह 1/5, कलादेवी पत्नी ओम प्रकाश शर्मा ता. गुलाबपुरा 5/6 बर्ष रेकार्ड होना प्रस्ट. जाया है।

यहाँ वादीया का स्थान है कि आराजी (सुस्त) जातिकारा कले जाशत का होने से जमीन की कमी देखा को गैर विवाद होता रहता है, इसीलिए माफिक हक दिलाने के अनुसार विभाजन करवाना चाहता है।

अपस्थित यसील प्रतिकवादी को भी माफिक हक दिलाने के अनुसार भूमि का विभाजन करवाये जाने में कोई आपत्ती नहीं होने से दावा वादी प्राथमिक डिग्री दिये जाने योग्य है।

निर्णय

दावा वादी प्राथमिक डिग्री दिया जाकर मौजा बुरडा देवा, तलसीम बुरडा की आराजी नं०- 2102, 2113 प्लॉट-2 रकबा 03 दिल्वा, तथा आराजी नं०- 2023, 2036, 2114, श.न. 2027, 2035, 2116 प्लॉट-4 रकबा 12 बीघा 05 दिल्वा भूमि के जातिकारी जाशतारों के मध्यन उनसे हक दिलाने के अनुसार

निरस्तः—

सहायक कलेक्टर
(D.O.) गुलाबपुरा
जा-सी-रा-३



अनुसूच प्रकरण में अंतिम न्याय पूर्ण होकर पड़े जाने से जादेश पड़े
सारे । पत्राचार गुलाबपुरा क्षेत्रीय कोर्ट कार्यालय कलकत्ता से ।
जादेश दिनांक 27/6/2017 को गुलाबपुरा क्षेत्रीय कोर्ट में
पुनर्जांच करा ।

सहायक/कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-संजयपुरा